ई–मेल के माध्यम से

प्रेषक

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
ललितपुर।

सेवा में

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक – मु0चि0अ0/सुपर वीजिन–वाहन/सूचना/2013 दिनांक 11.07.2019

विषय – वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबंधित वाहनों की स्थिति की सूचना उपलब्ध कराने के संबध में।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या – एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0एण्ड ई0/2019–20/30/ दिनांक 08.07.2019 के कम में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अनुबंधित वाहनों की सूचना एवं अनुबन्ध पत्र ई–मेल के माध्यम से आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
ललितपुर।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ED 344085

: – अनुबन्ध पत्र – :

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर। प्रथम पक्ष
श्री जयकुमार राठौर,प्रोपराईटर मे०न्यू राठौर ट्रेवर्ल्स एण्ड प्लेसमेण्ट ऐजेन्सी, घुसयाना, ललितपुर जनपद ललितपुर। द्वितीय पक्ष

ई–टेण्डर दिनांक 26.02.2018 जिलाधिकारी, महोदय ललितपुर के निर्देशानुसार दिनांक 09.03.2018 एवं अनुबंध दिनांक 20.03.2018 मे दी गई शर्तो के अनुबन्ध पर पुन: नवीनीकरण हेतु अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति ललितपुर प्रथम पक्ष एवं मे० न्यू राठौर टेवल्स एण्ड प्लेसमेंन्ट एजेन्सी घुसयाना ललितपुर द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनांक **01.04.2019** निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन **" सहयोगात्मक पर्यवेक्षण"** में सम्पादित किया गया हैं इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक **01.04.2019** से अगली निविदा होने की तिथि तक होगा।

1. द्वितीय पक्ष के द्वारा कुल 08 वाहन जिसने ललितपुर स्तर पर दो वाहन एवं प्रत्येक ब्लाक में एक–एक वाहन लगाया जाये, वाहन एक माह मे अधिकतम 1500 कि०मी०/प्रति वाहन तक चलाया जायेगा जिसके लिये द्वितीय पक्ष को वाहन का किराया रू0 30990/–प्रतिमाह की दर से प्रथम पक्ष द्वारा देय होगा।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यत: होनी चाहिए :–
   - वाहन टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
   - वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
   - वाहन 2015 वर्ष के मॉडल से कम नही होना चाहिऐ।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
   - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन में किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्स्योरेन्स के तहत मिलेगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
5. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रूपये 1200.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
6. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 15000.00 की धरोहर राशि प्रतिवाहन जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष को वापस करनी होगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर लगे वाहन चालक का नाम, पिता का नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
8. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशो का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर जमानत की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
9. ऐजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रात: 09:00 बजे से रात्रि 06:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अंदर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

मे0 न्यू राठौर ट्रेवल्स ... प्लेसमेंट एजेन्सी
जयकुमार
प्रोपाइटर

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी /
नोडल एन0 एच0 एम0
ललितपुर

क्रमांक पेज नं0....2 पर
Chief Medical Officer
LALITPUR

10. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या बैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
11. द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये वाहनो मे से यदि किसी वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा असंतोष कार्य प्रणाली दर्शायी जाती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के आदेश पर उक्त वाहन के स्थान पर निविदा शर्तो के अनुसार दूसरा वाहन तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराया जायेगा।
12. मेडीकल टीम को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
14. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति मे विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध मे लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति मे द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
16. जी0एस0टी0 नं0 व गाडियों का टैक्सी परमिट नं0 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने पर ही भुगतान किया जायेगा।

स्थान :– ललितपुर
दिनांक– 01/04/2019

हस्ताक्षर........ Chief Medical Officer
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद ललितपुर।

01-04-19
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/
नोडल एन0 एच0 एम0
ललितपुर

हस्ताक्षर..............
श्री जयकुमार राठौर,प्रोपराईटर मै0न्यू राठौर ट्रेवल्स एण्ड प्लेसमेण्ट ऐजेन्सी, घुसयाना, ललितपुर जनपद ललितपुर।
प्रोपराइटर

गवाह
1.
2. ....

Status of Vehicle under M & E for 2019-20

Sl. No.	Name of District	No. of Vech.	Name of Block	Type of Vehicle	Registration No. of Vehicle	Taxi Permit No. of Vehicle	Opening Date	Contract Period		Name of Agency	Driver Name	Mobile No.	Name of MO/IC	Rate of E-tendor
								From	To					
1	Lalitpur	8	**City**	Bullero	UP94Q-7558	UP/93/AUTH/AITP/2018/67	01/04/2019 To	4/1/2019	Next E-Tendor	M/s. New Rothore Trevels & Placemant Agency Lalitpur	Jagbhan		All ACMO	30990
2			**City**	Bullero	UP94U-3612	UP/93/AITP/2019/36	01/04/2019 To	4/1/2019	Next E-Tendor	M/s. New Rothore Trevels & Placemant Agency Lalitpur	Sarif	8707886226	Dr. D.C. Dohre	
3			**Talbehat**	Bullero	UP94T-5594	UP/93/102/AITP/2017/229	01/04/2019 To	4/1/2019	Next E-Tendor	M/s. New Rothore Trevels & Placemant Agency Lalitpur	Mulayam Sing	9956440852	Dr. Narendra Singh	
4			**Mehroni**	Bullero	UP94T-6186	CC/STA/UP/2018/02219	01/04/2019 To	4/1/2019	Next E-Tendor	M/s. New Rothore Trevels & Placemant Agency Lalitpur	Satyendra Pratap	9956196136	Dr. Rajesh Varma	
5			**Madawara**	Bullero	UP94T-6182	UP/93/AUTH/AITP/2018/68	01/04/2019 To	4/1/2019	Next E-Tendor	M/s. New Rothore Trevels & Placemant Agency Lalitpur	Mohd Irfan	9695631829	Dr. Vishal Pathak	
6			**Bar**	Bullero	UP94T-5662	UP/93/102/AITP/2017/230	01/04/2019 To	4/1/2019	Next E-Tendor	M/s. New Rothore Trevels & Placemant Agency Lalitpur	Anil Singh	9140174509	Dr. Chaturbhuj Rajpoot	
7			**Jakhora**	Bullero	UP94P-2333	CC/STA/UP/2018/01646	01/04/2019 To	4/1/2019	Next E-Tendor	M/s. New Rothore Trevels & Placemant Agency Lalitpur	Avtar Singh	8707776521	Dr. Pradeep Yadav	
8			**Birdha**	Bullero	UP94T-6184	UP/93/AITP/2018/32	01/04/2019 To	4/1/2019	Next E-Tendor	M/s. New Rothore Trevels & Placemant Agency Lalitpur	Suraj Vishkarma	9651575166	Dr. Ajay Khare	